न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2025 (राजसमन्द डिक्री)

महेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत, निवासी सांगठ, तहसील व जिला राजसमन्द हाल जुणदा खेड़ी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. निर्भयसिंह पिता उंकारसिंह राजपूत, निवासी आवरी माता मन्दिर की गली, वन विभाग के पास, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि० 09.04.2025 प्रकरण संख्या 96/2014

---/---

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री चावण्डसिंह शक्तावत अभिभाषक रे.सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 12–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जुणदा, तहसील रेलमगरा में आराजी नंबर 3129, 3143, 3144 कुल किता 3 रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि है। भूमियों के विकास के लिए विभाजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई ... पाबन्द किया जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया ... एवं निवेदन किया कि वादी का विवादित भूमि में एक दिन भी क... नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रहा है, मात्र राजस्व रेकार्ड में हिस्सा दर्ज है। जमीन के क्रय की कोई राशि नहीं चुकायी गयी है। वादी किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में कुल 3 तनकियां कायम की तथा दिनांक 09–04–2025 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चावण्डसिंह शक्तावत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का सही अवलोकन नहीं किया है तथा अभिवचन अनुसार तनकियां कायम नहीं की गयी हैं तथा तनकियों का साक्ष्यों अनुसार विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, उसमें पक्षकारान के हिस्से का अंकन नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2004 0 Supreme (Raj) 116 प्रस्तुत की।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी प्रदर्श 1 में विवादित आराजी नंबर 3129, 3143, 3144 कुल किता 3 रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है किन्तु [illegible] उक्त हिस्सा दर्ज नहीं होने से यह स्पष्ट नहीं है कि किस [illegible] आराजियात में कितना हिस्सा है। हालांकि वादी/[illegible] 1/2 अपने वाद में अपना 1/2 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी/अपीलान्ट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा होना अंकित किया है, किन्तु इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर वादी का 1/2 हिस्सा माना है, यह स्पष्ट नहीं है। वादी ने अपने वाद में यह कहीं भी वर्णित नहीं किया है, कि उसका जमाबन्दी में नाम किस आधार पर आया है, लेकिन प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे की कलम संख्या 2 में अंकित किया है कि वादी का भूमि पर एक दिन भी कब्जा नहीं रहा है केवल रेकार्ड में हिस्सा दर्ज है। जमीन क्रय की कोई राशि नहीं चुकायी गयी है। प्रतिवादी के कथन से यह प्रकट होता है कि वादी द्वारा भूमि क्रय की गयी है, लेकिन कितना हिस्सा क्रय किया गया है, इस बाबत् उनके न तो अपने वाद में कोई कथन किया गया है, न ही अधीनस्थ न्यायालय एवं अपील न्यायालय में कोई विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है। यहां यह इसलिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जमाबन्दी में कोई हिस्सा अंकित नहीं है, जबकि बंटवारे का मुख्य आधार हिस्सा ही होता है, तो हिस्से अनुरूप विभाजन किस प्रकार संभव है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो तनकियां कायम की है, वह वाद एवं जवाबदावे के अभिवचनों के आधार पर कायम की जाना प्रकट नहीं होता है, जबकि जवाबदावे में कब्जे का बिन्दु भी था। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रस्तुत की है, वह प्रतिकूल कब्जे के संबंधित है, जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 09–04–2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वाद एवं जवाबदावे के अभिवचनों के आधार पर तनकियां कायम कर एवं पक्षकारों से साक्ष्य सबूत लेकर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–10–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:39 IST
Reason: SelfAttested